संख्याः सोलन/रीडर/जि०द०/1-14/89-IV- 5591
कार्यालय जिला दण्डाधिकारी सोलन,
जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश– 173212

दिनांक : सोलन 21 मई, 2020

आदेश

इस कार्यालय के आदेश संख्याः–सोलन/रीडर/जि०द०/1-14/89-IV-4672 दिनांक 03 मई 2020 की निरन्तरता में जिसमें नगर परिषद/शहरी क्षेत्र में कर्फ्यू ढील अवधि के दौरान दुकानें निश्चित दिन/वार को सप्ताह में केवल दो दिन खोलने के आदेश दिए गए थे।

यह कि आम जनता की मांग व जरूरतों को मध्यनजर रखते हुए, अब सभी दुकानों को **“क” “ख”** व **“ग”** श्रेणियों में विभाजित किया जाता है तथा यह आदेश दिए जाते हैं कि अब से इस जिला में सभी दुकानें निश्चित समय सारणी के आधार पर सप्ताह में दो दिन के स्थान पर तीन दिन खुली रहेंगी। सभी दुकानों का सूचीवार विवरण निम्न प्रकार से हैः–

“क” श्रेणी में आने वाली दुकानें		
दुकानों के नाम	दुकानें खुलने के दिन	दुकानें खोलने का समय
दवाईयों की दुकानें चश्मे की दुकानें फल, सब्जी, दूध की दुकानें किरयाना की दुकानें मिठाई व हलवाई की दुकानें रैस्टोरेंट, ढाबा तथा बेकर्स पिज्जा की दुकानें वाहन गैराज/वर्कशॉप कार वाशिंग ड्राई क्लीनर्स एवं वॉशर मैन	**प्रतिदिन** नोटः हलवाई, मिठाई की दुकानें रैस्टोरेंट व ढाबा, पिज्जा की दुकानों को केवल काउंटर सेल व होम डिलीवरी की अनुमति दी जाती है। अन्दर बैठकर खाने पीने की अनुमति नहीं होगी।	**प्रातः 08:00 बजे से सांयः 04:00 बजे तक** (नोटः यह समय अवधि दवाईयों व चश्मे की दुकानों पर लागू नहीं होगी चूंकि उक्त दुकानों का समय प्रातः 08:00 बजे से सांयः 05:00 बजे तक निश्चित किया गया है)
“ख” श्रेणी में आने वाली दुकानें		
हार्डवेयर/पेन्ट की दुकानें सैनिटरी की दुकानें लोहे की दुकानें साईकिल की दुकानें बिजली उपकरण की दुकानें ईलैक्ट्रोनिक्स की दुकानें रिपेयर व स्पेयर की दुकानें फोटोग्राफर एवं वीडियोग्राफर वर्तन व क्रॉकरी की दुकानें प्रिंटिंग प्रैस, व फ्लैक्स प्रिंटिंग कितावें, स्टेशनरी, व रबड़ स्टैम्प	**सोमवार, बुधवार व शुक्रवार**	**प्रातः 08:00 बजे से सांयः 04:00 बजे तक**

District Magistrate
Solan District Solan

Scanned by CamScanner

मोबाईल एवं कम्पयूटर की दुकानें/रिपेयर की दुकानें घडी की दुकानें खिलौनें की दुकानें गिफ्ट की दुकानें फूल बेचने वाले की दुकानें		
"ग" श्रेणी में आने वाली दुकानें		
रैडीमेट गारमेंटस की दुकानें कपडे. की दुकानें जूते, चप्पल की दुकानें फर्नीचर की दुकानें बैग, व सूटकेस की दुकानें आभूषण की दुकानें बुटीक, दर्जी व रंगदार की दुकानें कम्बल, चदर, पर्दे, गददे की दुकानें मनयारी व कास्मैटिक्स की दुकानें कबाडी व सभी प्रकार के जनरल स्टोर/दुकानें जो उपरोक्त श्रेणी में दर्शाई नहीं गई हैं।	मंगलवार, वीरवार व शनिवार	प्रातः 08:00 बजे से सांयः 04:00 बजे तक

उक्त आदेश की अनुपालना कार्यकारी अधिकारी (जो मुख्यतः इस कार्य के लिए नियुक्त किए गए हैं) पुलिस अधिकारी/कर्मचारी सुनिश्चित करेंगे, यदि कोई व्यक्ति/दुकानदार इस आदेश की अवहेलना करता पाया जाता है तो भारतीय दण्ड संहिता 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है।

नोटः

1. सभी प्रकार की दुकानें रविवार को बन्द रहेंगी बजाय जो कि **"क"** श्रेणी में अंकित की गई हैं।
2. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जो दुकानें नगर परिषद/केंन्टोनमैंट बोर्ड एवं नगर पंचायत क्षेत्र जिला सोलन में स्थित हैं उन सभी दुकानों को खोलने के लिए दुकानों की श्रेणी उत्पाद/वस्तुओं के आधार पर निर्धारित की जाएगी जो मुख्य रूप से स्वामित्व/स्टॉक में है।
3. सभी मार्किट कॉम्प्लैक्स जो कि नगर परिषद क्षेत्र जिला सोलन में स्थित हैं उक्त वर्णित श्रेणियों के आधार पर ही खोले जाऐंगे।
4. अन्य सभी शर्तें आदेश के साथ यथावत रहेंगे।

यह आदेश इस जिला में दिनांक 22.05.2020 से तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे तथा आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।

जिला दण्डाधिकारी
सोलन, जिला सोलन
District Magistrate
Solan District Solan H.P.

Scanned by CamScanner

पृष्ठांकन संख्याः— यथोपरि — 5591

दिनांक 21 मई, 2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है।

1. मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
3. मण्डलायुक्त, मण्डल शिमला, शिमला।
4. पुलिस अधीक्षक, सोलन व पुलिस जिला बददी।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सोलन।
6. समस्त उप–मण्डल दण्डाधिकारी जिला सोलन।
7. सहायक आयुक्त (प्रोटोकोल) परवाणू।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कैन्टोनमैंट बोर्ड सुबाथु/कसौली व डगशाई।
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद सोलन/परवाणू/बददी व नालागढ।
10. सचिव, नगर पंचायत अर्की।
11. श्रम अधिकारी सोलन व बददी।
12. जिला सूचना अधिकारी सोलन।
13. जिला लोक सम्पर्क अधिकारी सोलन।
14. निजी सहायक, उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/सहायक उपायुक्त।
15. सूचना पट्ट।

जिला दण्डाधिकारी
District Magistrate
सोलन, जिला सोलन
Solan District Solan

Scanned by CamScanner